उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

सं० 1849-का०/विनी/राविप-29/97-14का०/विनी/87 दिनांक/अक्टूबर 8, 1997

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय : परिषदीय सेवकों की प्रोन्नति के लिए होने वाले चुनावों में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया का निर्धारण।

उपरोक्त विषय पर परिषद् द्वारा निर्गत आदेश संख्या 4340-जी/राविप-1-244ए/1972 दिनांक सितम्बर 29, 1984 को निरस्त करते हुए परिषद ने शासनादेश संख्या 13/21/89-क-1/1977 दिनांक 28 मई, 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित प्राविधानों को अपने सेवकों के संदर्भ में लागू करने का सहर्ष निर्णय लिया है।

उक्त आदेश संलग्न शासनादेश दिनांक 28 मई, 1997 के निर्गमन की तिथि से ही प्रभावी माने जायेंगे।

परिषद की आज्ञा से,

सचिव

सं० 1849-का०/विनी/राविप-29/97-14का०/विनी/87 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्सम् कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य अभियंता/महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
2- मुख्य अभियंता (जल-विद्युत), उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
3- महा प्रबन्धक, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
4- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
5- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
6- परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
7- मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- संयुक्त प्रबंध समिति के विशेष आमंत्री/श्रमिक सदस्य।
9- पत्रावली सं० 16-का.वि.नी/87 में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

(एस०पी० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-13/21/89-का-1/1997
लखनऊ: दिनांक 28 मई, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिये होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण।

उपरोक्त विषय पर शासन की वर्तमान नीति कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/85/1983-कार्मिक-1, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 में निहित है। "भारत संघ इत्यादि बनाम जानकी रमन इत्यादि [ए०आई०आर०-1991एस०सी०-2010]" मामले वाद में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 1991 तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू नीति आदि के प्रकाश में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 नवम्बर, 1983 को निरस्त करते हुए शासन द्वारा उक्त विषय पर अब निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

(1) प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उन सभी कार्मिकों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जो संगत सेवा नियमों व पात्रता विषयक नियमों के तहत नियमानुसार पात्रता सूची में आते हैं। भले ही उनमें से किसी कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की जाँच [प्रारम्भिक जाँच, विभागीय-प्रारम्भिक जाँच, सतर्कता जाँच, विभागीय अनुशासनिक जाँच, प्रशासनाधिकरण की जाँच] या अभियोजन की कार्यवाही विचाराधीन अथवा लम्बित हो अथवा वह निलम्बित चल रहा हो, और चयन समिति द्वारा ऐसे समस्त लम्बित/विचाराधीन मामलों को छोड़ते हुए अन्य समस्त सेवाभिलेखों के आधार पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक की उपयुक्तता पर विचार किया जायेगा। — पात्रता सूची के प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा विचार किया जाय

(2) उपरोक्तानुसार विचार कर चयन समिति द्वारा स्पष्ट संस्तुति की जायेगी परन्तु चयन समिति की संस्तुति को निम्नलिखित परिस्थितियों में [चाहे चयन समिति द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया गया हो या नहीं] अर्थात् दोनों ही दशाओं में कार्यवृत्त में अंकित नहीं किया जायेगा परन्तु ऐसे कार्मिक के सम्बन्ध में कार्यवृत्त में मात्र यह अंकित करते हुए कि चयन समिति की संस्तुति मुहर बंद लिफाफे में रखी है, उस कार्मिक के विषय में चयन समिति की संस्तुति एक अलग शीट पर अंकित की जायेगी, फिर मुहर बंद लिफाफे में रखा जायेगा और लिफाफे के ऊपर अंकित कर दिया जायेगा कि इसमें अमुक कार्मिक की प्रोन्नति के विषय में चयन समिति की सिफारिशें रखी गयी हैं :- — संस्तुतियों को मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने की परिस्थितियां

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है,

क्रमशः....2/

(2) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है,

(3) जहाँ उपरोक्त परिस्थितियाँ विद्यमान न हों, वहाँ प्रत्येक मामले में चयन समिति की संस्तुतियों के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार, प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी और जहाँ उपरोक्त परिस्थितियों के कारण चयन समिति की संस्तुतियाँ मुहर बन्द लिफाफे में रखी जाँय, वहाँ मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण अग्रलिखित नीति के अनुसार किया जायेगा।

मुहर बन्द लिफाफे से [illegible] हेतु [illegible] सुरक्षित रखना

(4) यदि किसी कार्मिक के विषय में चयन समिति की संस्तुति को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया हो तो उसके लिए एक पद सुरक्षित रखा जायेगा ताकि उसके निर्दोष पाये जाने पर लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार अथवा यथा-स्थिति अग्रलिखित नीति के अनुसार मुहर बन्द लिफाफे में रखी संस्तुति पर पुनर्विचार के आधार पर चयन समिति द्वारा की गयी पुनर्संस्तुति के अनुसार (यदि प्रोन्नति किये जाने की संस्तुति या पुनर्संस्तुति की गई हो) उक्त सुरक्षित पद के विरुद्ध उसे प्रोन्नत किया जा सके।

(5) उपरोक्तानुसार सुरक्षित रखे गये पदों के विरुद्ध काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से, सन्दर्भगत पात्रता सूची से, स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त कार्मिक की संस्तुति की जायेगी परन्तु यह काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी। इस संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों में स्थानापन्न पदोन्नति पर लगी रोक शिथिल समझी जायेगी।

अनुवर्ती चयन समितियों द्वारा मुहर बन्द लिफाफा

(6) यदि चयन समिति की दूसरी/अनुवर्ती बैठकों के समय भी आरोपित कार्मिक के विषय में उपरोक्त खण्ड (2) में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान हों, तो ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती चयन के अवसर पर उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चयन समिति द्वारा उसके नाम पर विचार किया जायेगा और चयन समिति की संस्तुति को ऐसे प्रत्येक अवसर पर अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफे में रखा जायेगा।

मुहर बन्द लिफाफे के निस्तारण की प्रक्रिया

(7) जब सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो और उसके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण या यथा-स्थिति अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों के अन्तिम परिणाम सामने आ जाय अर्थात् उसके विरुद्ध कोई ऐसा मामला न हो जो ऊपर खण्ड (2) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) की श्रेणी में आता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण किया जायेगा:-

पूर्णतः दोषमुक्त पाये जाने की दशा में

(क) आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रूप से दोष मुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा [illegible] विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है, द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे सन्दर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तदनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(ख) यदि न्यायालय द्वारा अभियोजन के मामले में किसी आरोपित कार्मिक को गुणावगुण के आधार पर दोष मुक्त किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निर्णय के विरूद्ध न तो अपील की जाती है और न विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है तो ऊपर उपखण्ड (क) के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जो न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दोष मुक्त करार दिये जाने की दशा में की जाती ।

अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने की दशा में

(ग) यदि आरोपित कार्मिक के विरूद्ध मामलों की समाप्ति पर यह पाया जाता है कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप आंशिक या पूर्णरूप से सिद्ध हुये हैं तो उसी स्तर की चयन समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिस स्तर की चयन समिति द्वारा संदर्भगत चयन सम्पन्न किया गया था। यह चयन समिति उसके विरूद्ध चल रहे मामलों में प्राप्त अन्तिम परिणामों सहित समस्त अभिलेखों के प्रकाश में मुहर बन्द लिफाफे में रखी संस्तुति पर पुनर्विचार करेगी। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में एक से अधिक लिफाफे उपलब्ध हों तो उपलब्ध लिफाफों को तब तक क्रमवार एक-एक करके खोलते हुए उन पर उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति उसे चयन समिति द्वारा किसी चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिये संस्तुत न किया जाय अथवा समस्त उपलब्ध लिफाफे खोलकर उन पर पुनर्विचार न कर लिया जाये। यदि पुनर्विचार के परिणामस्वरूप उसे किसी पूर्व चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया जाता है तो उसे उस चयन के आधार पर उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत समझा जायेगा जिस तिथि को चयन समिति की संस्तुति पर पुनर्विचारोपरान्त उसकी प्रोन्नति का निर्णय लिया गया है व इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी किये जायेंगे।

नियमितीकरण के मामलों में वेतन का निर्धारण

(घ) यदि किसी कार्मिक को उपरोक्तानुसार विचारोपरान्त नोशनल प्रोन्नति दी जाती है तो उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, के मूल नियम-27 के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति से उसी स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो उसे सम्बन्धित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर समय से अर्थात् आसन्न कनिष्ठ के प्रोन्नति होने की तिथि से प्रोन्नत होने पर मिलता। भाग 2-4

(ङ) नोशनल प्रोन्नति व वास्तविक प्रोन्नति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिये, उक्त नोशनल प्रोन्नति के परिणामस्वरूप अनुमन्य एरियर का भुगतान किये जाने या न किये जाने तथा उक्त भुगतान की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार करके निर्णय लिया जायेगा। जिन मामलों

क्रमशः.....4/

में वेतन के ऐसे एरियर के सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान न किये जाने का निर्णय हो तो ऐसा निर्णय लिये जाने के कारणों को इस विषय में पारित आदेशों में लिपिबद्ध किया जायेगा ।

टिप्पणी :- इन दशाओं का पूर्व अनुमान लगाया जाना तथा उन्हें विस्तृत रूप से निरूपित करना सम्भव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के एरियर के भुगतान से इन्कार किया जाना आवश्यक हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, सम्बन्धित कार्मिक के कारण देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में या आपराधिक कार्यवाही में दोष मुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो या साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो, जिन्हें कर्मचारी के कृत्य माना गया हो। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

।10। चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी । इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जाँच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जाँच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे कार्मिकों के विषय में, जो निलम्बित नहीं है, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा :-

लम्बे समय तक चलने वाली जाँचों के मामले में तदर्थ प्रोन्नति की प्रक्रिया

।क। आरोपित कार्मिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या इतने गम्भीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से वंचित रखा जाना उपयुक्त/जनहित में होगा,

।ख। क्या प्रशासनाधिकरण की जाँच/विभागीय कार्यवाही अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने में काफी समय लगेगा,

।ग। प्रशासनाधिकरण की जाँच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक तो दोषी नहीं है,

।घ। आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिए जाने पर वह अपने पद का दुरुपयोग अथवा जाँच को कुप्रभावित तो नहीं करेगा,

।ड.। यदि सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड ।क।, ।ख।, ।ग।, ।घ। के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिकों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नत

करना उपयुक्त समझते हैं तो उस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा तो आरोपित कार्मिक के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी ।

।च। यदि जाँच प्रशासनाधिकरण आदि किसी अन्य एजेन्सी द्वारा करायी जा रही हो तो उस दशा में उस एजेन्सी का परामर्श भी इस बिन्दु ।तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देने। पर प्राप्त किया जायेगा ।

।छ। उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ रूप से प्रोन्नति किये जाने के आदेशों में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार है तथा तदनुसार ऐसे कार्मिक को उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया था ।

।ज। तदर्थ आधार पर प्रोन्नत आरोपित कार्मिक के विरुद्ध चल रही प्रशासनाधिकरण की जाँच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन आदि के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती ।

।झ। यदि न्यायालय द्वारा किसी तदर्थ रूप से प्रोन्नत कार्मिक को तकनीकी आधार पर ।गुणावगुण के आधार पर नहीं। दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या उसी आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में सक्षम प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाय अथवा नहीं ।

...न के दिनांक के बाद परन्तु पदोन्नति के आदेशों के कार्यान्वयन के पूर्व प्रारम्भ कार्यवाहियों के आधार पर पदोन्नति रोका जाना ।

।11। यदि किसी कार्मिक की प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी हो, परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व खण्ड ।2। में उल्लिखित कोई ऐसी बात सामने आ जाये, जो यदि चयन के समय चयन समिति के समक्ष होती तो चयन समिति की संस्तुति को मुहर बन्द लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और ऐसी कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति को इस कार्यालय ज्ञाप में दिये गये उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, मानो उसके विषय में चयन समिति की संस्तुति को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया हो ।

स्थायीकरण के मामलों में नीति

।12। यदि प्रोन्नति के बजाय स्थायीकरण का मामला विचाराधीन हो तो खण्ड ।2। में उल्लिखित दशाओं में, जिनमें चयन समिति की संस्तुतियों को मुहर बन्द लिफाफे में रखा जाता है, स्थायीकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जायेगा तथा कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर स्थायीकरण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

क्रमशः........6/

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में प्रत्येक प्रसंग में उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

जगजीत सिंह
सचिव

सेवा में,

॥1॥ शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
॥2॥ समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र० ।
॥3॥ समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, विभिन्न प्राधिकरण ।
॥4॥ समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
॥5॥ सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

के० एम० लाल,
विशेष सचिव